

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं० 23 / 2015-2020
दिनांक: 13 जुलाई, 2018

विषय:- भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के परिशिष्ट 3ख में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 13 दिनांक 12.06.2018 के तहत पिछली बार संशोधित परिशिष्ट 3ख, तालिका 2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. दिनांक 13.07.2018 से 12.01.2019 तक किए गए निर्यात के लिए निम्नलिखित उत्पादों को 10 प्रतिशत की दर पर एमईआईएस परिशिष्ट 3ख, तालिका 2 में शामिल किया जाता है।

एमईआईएस क्रम सं०	एचएस कोड	विवरण
(1)	(2)	(3)
8022	0401 10 00	वजन से वसा की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक नहीं
8023	0401 20 00	वजन से वसा की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक परंतु 6 प्रतिशत से अधिक नहीं
8024	0401 40 00	वजन से वसा की मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक परंतु 10 प्रतिशत से अधिक नहीं
8025	0401 50 00	वजन से वसा की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक
8026	0402 10 10	स्किम्ड मिल्क
8027	0402 10 20	शिशुओं के लिए दुग्ध आहार
8028	0402 10 90	अन्य
8029	0402 21 00	अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठी सामग्री नहीं मिलाई गई है
8030	0402 29 10	सम्पूर्ण दूध
8031	0402 29 20	शिशुओं के लिए दुग्ध
8032	0402 29 90	अन्य
8033	0402 91 10	कंडेस्ड मिल्क
8034	0402 91 90	अन्य
8035	0402 99 10	सम्पूर्ण दूध
8036	0402 99 20	कंडेस्ड मिल्क
8037	0402 99 90	अन्य
8038	0403 10 00	दही
8039	0403 90 10	बटर मिल्क
8040	0403 90 90	अन्य
8041	0404 10 10	व्हे, कॉन्सन्ट्रैटेड, इवैपोरेटेड या कंडेस्ड, लिक्विड या सेमी लिक्विड

8042	0404 10 20	व्हे, ड्राइ, ब्लॉक और पाउडर रूप में
8043	0404 10 90	अन्य
8044	0404 90 00	अन्य
8045	0405 20 00	डेयरी स्प्रेड
8046	0405 90 10	बटर आयल
8047	0406 9090	अन्य
8048	0406 1000	फ्रेश (अनराइपन्ड या अनक्योर्ड) चीज व्हे चीज और कर्ड सहित
8049	0406 2000	सभी प्रकार के ग्रेटेड या पाउडर चीज
8050	04064000	ब्लू-वेन्ड चीज और अन्य चीज जिसमें पेनिसिलियम रोकफॉर्टी द्वारा उत्पादित वेन की मात्रा हो
8051	35011000	कैसिइन
8052	3501 90 00	अन्य

3. निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित तारीख और दर के अनुसार परिशिष्ट 3ख, तालिका 2 के निम्नलिखित नौ उत्पादों/एचएस कोडों की दर बढ़ायी जाती है:

एमईआईएस क्रम सं०	एचएस कोड	प्रतिशत में मौजूदा दर	प्रतिशत में बढ़ायी गई दर	कालम (4) के अनुसार बढ़ायी गई दर के लिए अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
164	07031010	0	5	13.07.2018 से 12.01.2019
111	04051000	7	10	13.07.2018 से 12.01.2019
112	04059020	7	10	13.07.2018 से 12.01.2019
113	04063000	7	10	13.07.2018 से 12.01.2019
114	04069000	7	10	13.07.2018 से 12.01.2019
733	23040010	7	10	13.07.2018 से 31.03.2019
734	23040020	7	10	13.07.2018 से 31.03.2019
735	23040030	7	10	13.07.2018 से 31.03.2019
736	23040090	7	10	13.07.2018 से 31.03.2019

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: कतिपय मदों के लिए एमईआईएस लाभ एक निर्धारित अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा परिशिष्ट-3ख की एमईआईएस अनुसूची में कुछ नई मदों को शामिल किया गया है।


 (आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
 महानिदेशक, विदेश व्यापार
 ई-मेल: dgft@nic.in

[फा० सं० 01/61/180/34/एम 19/पीसी-3 से जारी]